

मा. कृ.अ.प. उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
भा. कृ. अ. प. केन्द्रीय मेड व ऊन अनुराधान संस्थान
गडसा (कुल्लू) हि.प्र. 175141

क्रमांक: 7(56)एस / 2015 /

739

दिनांक : 20.10.2015


कुटेशन सूचना

इस केन्द्र के Lab / फिल्ड तज्जीशियन कार्य को अनुबन्ध के अधार पर करवाने के 'लेए सेवानिवृत्त सैनिक' / प्राइवेट पार्टी से आपनी उचित व न्यूनतम दर मार्शिक अधार पर प्रत्युत लगाने के लिए कुटेशन आगंत्रित छिपे जाते हैं । यह है ठेकेदार के पास पेन नं० होना आवश्यक है । लैपटॉप लो आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा सेवानिवृत्त सैनिकों को याचिता दी जायेगी ।

नियम व शर्तें :

- 1 कुटेशन रादा कराज पर इस केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम बन्द लिफांडे पर खोल्दा लिये जायेंगे, कुटेशन केन्द्र में दिनांक 18.11.2015 पूर्वाहन 11.00 बजे तक प्रस्तुत करना है । ज्ञानी / दार व उच्च द्वारा भेजी गई तथा पेर से प्राप्त कुटेशनों पर कोई पिचार नहीं किया जायेगा । कुटेशन उरी दिन दोपहर 12-00 बजे कुटेशनदाता के रामक्ष खोले जायेंगे । कुटेशन दाता के पास पेन नं० अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी ।
- 2 ठेकेदार को कुटेशन के साथ 1000 00 रुपये मात्र साई राशि के रूप में बैंक ड्रापट जी. सी. एस. डब्ल्यू आर. आई यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भूत्तर पर देय हो जाना चाहिया पड़ेगा । बिना धरोहर राशि के कोई कुटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- 3 अनुबन्ध की उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जायेगी तथा प्रति भारत / हिमाचल राज्यां द्वारा निर्धारित अमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा उसे निरस्त किया जा सकता है ।
- 4 दर प्रति नाह के हिसाब से प्रस्तुत करना है । अनुबन्ध की अपेक्षा 12 माह तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है । यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार या कार्य असंतोषजनक रहता तो अनुबन्ध निश्चित रामय अवधि से नूर्द भी समाप्त किया जा सकता है । जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । इस दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
- 5 सफल दरदाता को कुल ठेका राशि का 5 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जाना करवानी होगी । धरोहर राशि बैंक ड्रापट जो सी. एस. डब्ल्यू आरआई यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भूत्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अणहस्ताक्षरी के नाम पर्सी रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं । यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी ।
- 6 ठेकेदार / प्रतिनिधि के कार्य की समय सीमा कार्यालय समय अनुसार होगी ।
- 7 ठेकेदार / प्रतिनिधि कम से कम B.Sc. (Any discipline) होना आवश्यक है । इस के लिये दोनों दस्तावेजों की प्रतिलिपि कुटेशनों के साथ संलग्न करना होगा । सेवा निवृत्ति के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न करना होगा । सफल ठेकेदार को ठेका प्रदान होने से पूर्व नियमानुसार इकारानामा प्रस्तुत करना होगा ।
- 8 ठेकेदार / प्रतिनिधि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा बी.डी. शराब तथा अन्य मादूक पदार्थों का रेवन करने वाला नहीं होना चाहिये । कार्य में किसी भी प्रकार चीज़ शिथिलता / गैर जिम्मेदार / अवज्ञा की गई हो तो उक्ता निरस्त किया जा सकता है । ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
- 9 अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को केन्द्र की समग्री के व्यापार होगा । यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति वह भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा । अन्यथा उनके देश बिल में से काट लिया जायेगा ।
- 10 ठेकेदार / प्रतिनिधि को किसी असामाजिक गतिविधियों से संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी / कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना होगा । अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 11 कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल दो त्रितीयों में पूर्व प्राप्त रसीद के राथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिनों में वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय, केन्द्रीय मेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा किया जायेगा । नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा ।
- 12 प्रभारी अनुभाग / अध्यक्ष महोदय के दिशा - निवारण के अनुसार कार्य करना होगा । ठेकेदार / प्रतिनिधि को कार्यालय के प्रत्येक कार्य की गोपनियता रखनी होगी ।
- 13 केन्द्र के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण लगाये किसी भी एक / रामी कुटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी ।


जार्गकारी अध्यक्ष

दितरण:

- 1) नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गडसा ।
- 2) सैनिक कल्याण बोर्ड, कुल्लू (हि. प्र.) ।
- 3) प्रधान, ग्राम चंचायत गडसा, दियार, शियाह, हुरला व थरागा ।
- 4) प्रभारी ए. के. एम. युनिट, केन्द्रीय मेड व ऊन अनुसंधान, संस्थान, अविकानगर के इस अवश्य के साथ प्रेषित है कि कुटेशन सूचना को कृपया संस्थान के बैब साईट से डालने का अम करें ।